

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 131/2021
अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र प्रकाशचन्द जाति अग्रवाल साकिन 4 वाई तहसील व जिला
श्रीगंगानगर (मृतक)–

- 1.1 राजकुमारी पत्नी स्व० मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म० नं०
2-ए-13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
- 1.2 वन्दना लुहारीवाल पुत्री स्व० मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म० नं०
2-ए-13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
- 1.3 पंकज अग्रवाल पुत्र स्व० मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म० नं०
2-ए-13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
- 1.4 करूण अग्रवाल पुत्र स्व० मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म० नं०
2-ए-13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।

2. राधेश्याम पुत्र गुरदयाल जाति अग्रवाल साकिन 4 वाई तहसील व जिला
श्रीगंगानगर (मृतक)–

- 2.1 तारादेवी (फौत) पत्नी स्व० राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म० नं० 4-बी-2,
जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
- 2.1.1 सन्दीप अग्रवाल पुत्र स्व० राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म० नं० 4-बी-2,
जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
- 2.1.2 ज्योति पुत्री स्व० राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म० नं० 4-बी-2,
जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
- 2.1.3 रोहित अग्रवाल पुत्र स्व० राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म० नं० 4-बी-2,
जवाहरनगर श्रीगंगानगर।

3. शिवकुमार पुत्र सत्यनारायण जाति अग्रवाल साकिन 4 वाई तहसील व जिला
श्रीगंगानगर।

उपस्थित– सतविन्द्र सिंह चहल (प्रतिवादीगण)
राज पैरोकार (वादी)

दिनांक: 20 मई, 2025

–:निर्णय:–

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 वाई के खाता संख्या 113 के मुरब्बा नम्बर 15
के किला नं० 1/0.164, 2/1/0.202, 20/0.037, 21/0.164, 22/0.253, 23/0.037, 24/0.253, 25/0.253 हैक्टे० नहरी इस प्रकार कुल 1.579 हैक्टे० नहरी कृषि
भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर उक्त भूमि आवासीय मकान बनाकर अकृषि कार्य में
उपयोग किया जा रहा है जिसमें मौका पर आबादी बसी हुई है। इस प्रकार उक्त



12

आर.ए.एस. कलक्टर एवं
कृषि अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

आराजी पर अकृषि कार्य बिना स्वीकृति संपरिवर्तन करवाये किया जा रहा है। अतः रकबा राज हित में सिवाय चक घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 द्वारा दिनांक 29.01.2025 को तथा 1.1 से 1.4 एवं 2.1.1 से 2.1.3 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 16.05.2025 को उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यों अनुसार नौका पर चक 4 वाई के मुरब्बा नं० 15 के किला नं० 1 की 0.164 हैक्टे०, किला नं० 2/1 की 0.202 हैक्टे०, किला नं० 20 की 0.037 हैक्टे०, किला नं० 21 की 0.164 हैक्टे०, किला नं० 22, 23, 24 व 25 प्रत्येक सालन नहरी कुल 1.579 हैक्टे० में कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है और उक्त रकबा बाबत अप्रार्थीगण द्वारा संपरिवर्तन करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। उक्त रकबा नौके पर खाली पड़ा है और उक्त रकबा में कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि रकबा को संपरिवर्तन करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना कानूनन गलत है अगर उक्त रकबा पर माननीय न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो निन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रकबा संपरिवर्तन करवाने का आवेदन पत्र निरस्त हो जावेगा जिससे निन अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

स्टेट जरिये तहसीलदार एवं राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के भू-रूपान्तरण करवाये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। परन्तु इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20.05.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता

(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर